

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 51(1)ग्रावि/नरेगा/जीआईएस/108092/2016-17/पार्ट- II

जयपुर दिनांक :

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

17 NOV 2017

विषय :- जियो मनरेगा फेस-II अन्तर्गत कार्यों की जियो टैगिंग बाबत।
संदर्भ :- ग्रामीण विकास मंत्रालय का पत्र क्रमांक No. M-11011/02/2016-RE-VII Dated 15.11.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जियो मनरेगा फेस-II अन्तर्गत जियो टैग किये जाने वाले कार्यों हेतु निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया गया है :-

1. रुपये पचास हजार तक की स्वीकृति के कार्यों की स्टेज- II की जियो टैगिंग के लिए नरेगा सॉफ्ट पर से निर्धारित चेक हटा लिया गया है। ऐसे कार्य स्टेज- I की जियो टैग के तुरंत बाद स्टेज- II की जियो टैग के लिए उपलब्ध होंगे एवं कार्य की प्रगति के दौरान स्टेज- II की जियो टैगिंग किया जाना अनिवार्य है।

2. PMAY आवास कार्यों को जियो टैगिंग के तीनों चरणों से मुक्त किया गया है।

संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि तदनुसार संबंधित अधिकारियों को सूचित कर अनुपालना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

संलग्न:-उपरोक्तानुसार


(शाहीन अली खान)
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक समस्त राजस्थान।
- 2 अधिशाषी अभियंता (DGNO), महात्मा गांधी नरेगा समस्त राजस्थान।
- 3 कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा सह विकास अधिकारी (GAS) पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।
- 4 रक्षित पत्रावली।


State GIS Nodal Officer (SGNO)

